कार्यालय जिला स्तरीय समिति
आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
-:: जिला - बालोद ::-
छत्तीसगढ़

Phone No & Fax No. 07749-223915 , Email- actwd.balod@gmail.com

कमांक/EMRS/1867 /2023–24/ बालोद, दिनांक 27/03/2023

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु अतिथि शिक्षकों (Guest Teacher) की व्यवस्था हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन सूचना का प्रारूप

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु गठित छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति रायपुर छ.ग. के अंतर्गत जिला बालोद में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु अस्थाई रूप से मानदेय पर अध्यापन कार्य हेतु अतिथि शिक्षकों **(फेश अभ्यर्थी/सेवा निवृत्त शिक्षकों)** की व्यवस्था हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑफलाईन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं।

विज्ञापन का विस्तृत विवरण विभाग के वेबसाईट **http://www.eklavya.cg.nic.in** या जिले के वेबसाईट **https://balod.gov.in** (जिला द्वारा भरा जाये) पर अवलोकन किया जा सकता है ।

आवेदन संबंधी तिथियाँ :–

क्र.	विवरण	आवेदन की अंतिम तिथि
1	आवेदन करने की अंतिम तिथि	25.04.2023

सहायक आयुक्त/पदेन सचिव
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
जिला-बालोद(छत्तीसगढ़)

पृ0कमांक/EMRS/1867 /2023–24/ बालोद, दिनांक 27/03/2023

प्रतिलिपि :–

1. सहायक संचालक, जनसंपर्क कार्यालय बालोद जिला– बालोद को अतिथि शिक्षक / छात्रावास अधीक्षक की व्यवस्था हेतु विज्ञापन सूचना का प्रकाशन हेतु सूचनार्थ ।

सहायक आयुक्त/पदेन सचिव
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
जिला-बालोद(छत्तीसगढ़)

27/03/2023
जिला जन सम्पर्क कार्यालय बालोद

कार्यालय जिला स्तरीय समिति
आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
-:: जिला - बालोद ::-छत्तीसगढ़

Phone No & Fax No. 07749-223915 , Email- actwd.balod@gmail.com

क्रमांक / EMRS /   / 2023–24 /   **बालोद, दिनांक   /   / 2023**

जिला स्तरीय समिति बालोद के अधीन संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु अतिथि शिक्षक / छात्रावास अधीक्षक की व्यवस्था हेतु

–ःमार्गदर्शी सूचना प्रारूपः–

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शत–प्रतिशत पोषित तथा छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम संस्थान समिति रायपुर द्वारा जिला बालोद में जिला स्तरीय समिति के अधीन संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु शिक्षकों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अस्थाई रूप से सी.बी.एस.ई. पैटर्न पर शाला संचालन हेतु शासकीय शिक्षकों / कर्मचारियों द्वारा फ्रेश अभ्यर्थियों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों से ''**प्रतिकालखंड**'' आधार पर 'अतिथि शिक्षक' (Guest Teacher) एवं निश्चित मानदेय पर ''छात्रावास अधीक्षक'' लिया जाना है।

1. **रिक्तियों की संख्या** – कुल विषयवार शिक्षकों एवं छात्रावास अधीक्षक की संभावित आवश्यकता निम्नानुसार है, जो परिवर्तनीय है :–

क्र	जिला	विकासखंड	विद्यालय का नाम	पी.जी.टी.							टी.जी.टी.						छात्रावास अधीक्षक		योग
				हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	भौतिक	रसायन	जीव विज्ञान	कम्प्यू. साइंस	हिन्दी	अंग्रेजी	संस्कृत	गणित	विज्ञान	सा.विज्ञान	पु.	म.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	बालोद	डौण्डी	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डौण्डी	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	19

टीप :– जिन विद्यालयों में जिस संकाय / विषय की अनुमाति दी गई है उसी विषय की गणना कर रिक्ती संख्या में दर्शाते हुए विज्ञापन निकाला जाये।

2. **पदों हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :–**

विज्ञापित पदों हेतु अनिवार्य योग्यता संबंधी विवरण निम्नानुसार है :–

1) TGT:-

i. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ एनसीईआरटी के रिजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 04 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री।

- TGT (तीसरी भाषा) – स्नातक में एक विषय संस्कृत होना चाहिये।
- TGT (अंग्रेजी) – स्नातक में एक विषय अंग्रेजी होना चाहिये।
- TGT (हिंदी) – स्नातक में एक विषय हिंदी होना चाहिये।
- TGT (गणित) – मुख्य रूप से गणित भाषा के साथ दूसरे विषय के रूप में भौतिकी, रसायन, विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी।
- TGT (सामाजिक विज्ञान) – स्नातक स्तर पर निम्नलिखित विषयों में से कोई भी दो मुख्य विषय के तौर पर होना चाहिये – भूगोल / अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र / इतिहास जिनमें से एक इतिहास या भूगोल होना चाहिये।
- TGT (विज्ञान) – बॉटनी, जियोलॉजी और केमेस्ट्री में से किन्हीं दो विषयों के साथ विज्ञान में स्नातक डिग्री।

ii. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या समकक्ष डिग्री।

iii. राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET Paper-II)या केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET Paper-II) में पात्रता।

2) PGT:-

I. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ एनसीईआरटी के रिजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 02 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री।

- PGT (अंग्रेजी) – अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी अंग्रेजी विषय होना चाहिये।
- PGT (हिंदी) – हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी हिंदी विषय होना चाहिये।
- PGT (गणित) – गणित या एप्लाईड गणित में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी गणित विषय होना चाहिये।
- PGT (भौतिकी) – भौतिकी/एप्लाईड भौतिकी/न्यूक्लियर भौतिकी में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी भौतिकी विषय होना चाहिये।
- PGT (रसायन विज्ञान) – रसायन विज्ञान/जैव रसायन में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी रसायन विषय होना चाहिये।
- PGT (जीव विज्ञान) – बॉटनी/जियोलॉजी/लाईफ साईंस/बॉयोसाईंस/जेनेटिक्स/माइक्रोबॉयोलॉजी/बॉयोटेक्नोलॉजी/मॉलिक्यूलरबॉयो/प्लांट फिजियोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी बॉटनी एवं जियोलॉजी विषय होना चाहिये।
- PGT (इतिहास) – इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी इतिहास विषय होना चाहिये।
- PGT (भूगोल) – भूगोल में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी भूगोल विषय होना चाहिये।
- PGT (वाणिज्य) – वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी वाणिज्य विषय होना चाहिये। हालांकि एप्लाईड एम.कॉम/बिजनेस इकोनॉमिक्स की डिग्री धारक पात्र नहीं होंगे।
- PGT (इकोनॉमिक्स) – इकोनॉमिक्स/एप्लाईड इकोनॉमिक्स/बिजनेस इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी इकोनॉमिक्स विषय होना चाहिये।
- PGT (इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी) – बी.टेक (कम्प्यूटर साईंस/आईटी)/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। अथवा कम्प्यूटर एप्लीकेशन/कम्प्यूटर साईंस/इंफारमेशन टेक्नोलॉजी में एम.टेक डिग्री धारक।

II. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या समकक्ष डिग्री।

<u>वांछनीय योग्यता :–</u>

- हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रवीणता। जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र में सत्यापित करना होगा।

- शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान से विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव।

3) छात्रावास अधीक्षकः–

- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक डिग्री।

वांछनीय योग्यता :–

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में डिप्लोमा/स्नातक/ स्नातकोत्तर या बी.एड
- शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान के आवासीय विद्यालय या छात्रावास में कार्य करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव।

3. **आयु की गणना :–**

फ्रेश अभ्यर्थी शिक्षक

(अ) पीजीटी और टीजीटी के लिए – 01 अप्रैल 2023 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष है

(ब) छात्रावास अधीक्षक के लिए – न्यूनतम 26 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष है।

सेवा निवृत्त शिक्षक

(अ) सेवा निवृत्त शिक्षकों के लिए – अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष (01 अप्रैल 2023 की स्थिति में) होगी। बशर्ते वे आवासीय व्यवस्था में काम करने के लिए चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ हो। **चिकित्सा–सह–फिटनेस प्रमाणपत्र जमा करना होगा।**

4. चयन प्रक्रिया :–

1. जिला समितियों के अधीन विद्यालयों के लिए प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मेरिट तैयार कर पदवार शिक्षकों का एक पैनल तैयार करेगी। यदि आवश्यक हुआ साक्षात्कार आयोजित कर शैक्षणिक मूल्यांकन के साथ साक्षात्कार के अंक जोड़ कर अंतिम मेरिट सूची के आधार पर अंतिम पैनल तैयार किया जायेगा जिसे वर्ष भर में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए उपयोग में लाया जायेगा।

2. जिला स्तर पर जिलों के अधीन विद्यालयों के लिए आवश्यक शिक्षकों की संख्या का निर्धारण कर विज्ञापन तैयार कर प्रदेश के 02 प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा।

3. आवेदकों को जिले में स्थित विद्यालयों के लिए प्राथमिकता क्रम से विद्यालय चयन करना होगा।

5. चयन समिति :–

जिला स्तर पर आवेदन पत्रों के जाँच/परीक्षण/मेरिट सूची आदि तैयार करने हेतु निम्नांकित समिति होगी :–

1.	कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय समिति द्वारा नामांकित 01 प्रतिनिधि	–अध्यक्ष
2.	परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना	– सदस्य
3.	जिला शिक्षा अधिकारी	–सदस्य
4.	जिला स्तरीय समिति से एक शिक्षाविद् (कलेक्टर द्वारा नामांकित)	– सदस्य
5.	विद्यालय/महाविद्यालय से एक विषय विशेषज्ञ	–सदस्य
6.	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास	–सदस्य सचिव
7.	प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (01 प्राचार्य)	– सदस्य

उपरोक्त समिति योग्यता मापदण्ड शिक्षण अनुभव और आवश्यक हुआ तो साक्षात्कार के आधार पर मूल्यांकन कर शिक्षकों का पैनल सूची बनाई जायेगी तथा पैनल सूची को राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय एवं विद्यालय की वेब साईट पर अपलोड किया जायेगा।

6.योग्यता सूची तैयार करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए चयन का मापदण्ड :–

अ. पी.जी.टी.जिसमें न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर है के लिए

क्र.	**योग्यता**	**अंक भार**
1	हायर सेकण्डरी के अंको का	**20%**
2	स्नातक के अंको का	**30%**
3	स्नातकोत्तर के अंकों का	**50%**
अतिरिक्त अंक		
4	कार्य अनुभव (03 वर्ष हेतु–03 अंक, 04 वर्ष हेतु 04 अंक, 05 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के अनुभव हेतु अधिकतम–05 अंक) (03 वर्ष से अधिक अनुभव के पश्चात् छः माह से अधिक अनुभव को पूर्ण वर्ष माना जावेगा। छः माह से कम अनुभव के लिए कोई अंक नहीं दिया जावेगा) (शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं का प्रमाण पत्र का प्रारूप **परिशिष्ट–छः** के अनुसार)	**03 वर्ष–03 अंक** **04 वर्ष–04 अंक** **05 वर्ष या 05 वर्ष से अधिक वर्ष–05 अंक**
5	जिसकी माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी तथा महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुआ हो	05 अंक
6	केवल महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो तो	04 अंक
7	हायर सेकेण्डरी तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो तो	02 अंक

ब. टी.जी.टी. जिसमें न्यूनतम योग्यता स्नातक है के लिए

क्र.	**योग्यता**	**अंक भार**
1	हायर सेकण्डरी के अंको का	**20%**
2	स्नातक के अंको का	**50%**
3	स्नातकोत्तर के अंकों का	**30%**
अतिरिक्त अंक		
4	कार्य अनुभव (03 वर्ष हेतु–03 अंक, 04 वर्ष हेतु 04 अंक, 05 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के अनुभव हेतु अधिकतम–05 अंक) (03 वर्ष से अधिक अनुभव के पश्चात् छः माह से अधिक अनुभव को पूर्ण वर्ष माना जावेगा। छः माह से कम अनुभव के लिए कोई अंक नहीं दिया जावेगा) (शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं का प्रमाण पत्र का प्रारूप **परिशिष्ट–छः** के अनुसार)	**03 वर्ष–03 अंक** **04 वर्ष–04 अंक** **05 वर्ष या उसे अधिक वर्ष–05 अंक**
5	जिसकी माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी तथा महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुआ हो	05 अंक
6	केवल महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो तो	04 अंक
7	हायर सेकेण्डरी तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो तो	02 अंक

7. अनुभव :– अनुभव प्रमाण पत्र मान्य करने हेतु शासकीय शाला (केन्द्र/राज्य शासन के अधीन)/शासकीय अनुदान प्राप्त शाला में कार्य किये होने पर ही मान्य होगा। प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संस्था/अनुदान प्राप्त शाला से अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण अधीन से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए। (**परिशिष्ट–छः**)

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य किए हुए शिक्षकों/अतिथि शिक्षकों को मेरिट सूची में प्राथमिकता दी जावेगी।

8. नियुक्ति के संबंध में :–

1. पैनल लिस्ट के अतिथि शिक्षक को किसी भी प्रकार का नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जायेगा।
2. चयनित उम्मीदवारों को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य पर लिया जा सकता है, जहां उन्हें रिक्ति/ छुट्टी रिक्ति के मामले में तैनात किया जाएगा।
3. कार्य पर लिए जाने वाले अतिथि शिक्षक को एक अनुबंध प्रारूप में अनुबंध कराया जायेगा जिसमें विभिन्न शर्तों के अधीन चालू शैक्षणिक सत्र तक कार्य करने एवं कार्य दायित्वों का उल्लेख होगा। अनुबंध एक शैक्षणिक वर्ष या रिक्ति अवधि (मातृत्व अवकाश या बाल देखभाल अवकाश या 30 दिनों से अधिक की कोई अन्य लंबी छुट्टी) तक या नियमित पदधारी के स्पष्ट रिक्ति के मामले में शामिल होने तक, जो भी पहले हो, तक वैध होगी।
4. अतिथि शिक्षक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में नियमित पदस्थापना के लिए दावा नहीं करेंगे।

9.**मानदेय :–**

- **फ्रेश अभ्यर्थी शिक्षक –** पारिश्रमिक / मानदेय का भुगतान फ्रेश अभ्यर्थी शिक्षकों को व्याख्यान / कालखण्ड के आधार पर किया जाएगा।
- **पारिश्रमिक :–**

  (अ) पी.जी.टी एवं टी.जी.टी. हेतु –

  पीजीटी–Rs.320 / –प्रति कालखण्ड के मान से अधिकतम रू. 45000 / – प्रतिमाह के मान से एवं टीजीटी–Rs.300 / –प्रति कालखण्ड के मान से अधिकतम रू. 42000 / – के मान से।

  अतिथि शिक्षकों को न्यूनतम 5 कालखण्ड प्रति दिन और अधिकतम 6 कालखण्ड आवंटित किया जा सकता है। प्रति अवधि के आधार पर अतिथि शिक्षकों का अधिकतम वेतन निम्नानुसार अधिकतम तक सीमित किया जाता है।

  (ब) छात्रावास अधीक्षक –

  Rs. रू. 1200 / –प्रति दिवस या अधिकतम रू. 36000 / – प्रतिमाह के मान से।
- **सेवानिवृत्त शिक्षक –** पारिश्रमिक का भुगतान:- सेवानिवृत्त शिक्षकों को मासिक आधार पर किसी भी विकल्प का पालन करके भुगतान किया जाएगा। सेवानिवृत्त शिक्षक की नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है और नोटिस अवधि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

नवोदय विद्यालय (एनवीएस) / केन्द्रीय विद्यालय (केवीएस) और अन्य सरकार से सेवानिवृत्त शिक्षकों के मामले में अंतिम वेतन का 50% जहां पेंशन का प्रावधान लागू है। निजी स्कूल से सेवानिवृत्त शिक्षक के मामले में जहां पेंशन लागू नहीं है, के लिए अधिकतम पीजीटी हेतु Rs. 45000 / –, टीजीटी हेतु Rs.42000 / –एवं छात्रावास अधीक्षक हेतु Rs.36000 / – का पालन किया जाना है।

10. सामान्य निर्देश :–

<u>(अ)अतिथि शिक्षकों हेतु</u> :–

i. छात्रावास अधीक्षक को गर्मी और सर्दियों की छुट्टी और शरद ऋतु की छुट्टी या लगातार 15 या अधिक दिनों के किसी अन्य अवकाश के दौरान भुगतान नहीं किया जाएगा।
किसी भी प्रकार की छुट्टी को विद्यालय से अनुपस्थिति माना जाएगा और इसे बिना वेतन छुट्टी माना जाएगा।

ii. अतिथि शिक्षकों की सेवाएं बिना कोई कारण बताए किसी भी समय केवल 15 दिनों की पूर्व सूचना देकर समाप्त की जा सकती हैं।

iii. अतिथि शिक्षकों के कार्य के घंटे नियमित शिक्षकों के समान होंगे।
अतिथि शिक्षकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां नियमित शिक्षक / पदधारी के समान होंगी। नियमित कक्षा गतिविधि, प्रतिलिपि सुधार, निरीक्षण कर्तव्य, मूल्यांकन कर्तव्य, छात्रों को विभिन्न साहित्यिक, सह पाठ्यचर्या, खेल गतिविधि अनुरक्षण कर्तव्य, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकन, प्राचार्य द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों आदि शामिल होंगे।

iv. अतिथि शिक्षकों को आवास उपलब्ध कराया जा सकता है यदि उपलब्ध हो (व्यक्तिगत / साझा करने के आधार पर) निः शुल्क जो उन्हें अनुबंध समाप्त होने के 7 दिनों के भीतर खाली करना होगा।

v. एकलव्य विद्यालय में नियमित शिक्षक/पदधारी के शामिल होने के मामले में, जहां अतिथि शिक्षक कार्य कर रहा है, अतिथि शिक्षक को अन्य एकलव्य विद्यालय में तैनात किया जा सकता है, जहां उक्त रिक्ति मौजूद हो, बशर्ते अतिथि शिक्षक का प्रदर्शन संतोषजनक हो और अतिथि शिक्षक ने आवेदन पत्र में उस एकलव्य विद्यालय के विकल्प का प्रयोग किया। तथापि अतिथि शिक्षकों की कमी की स्थिति में अतिथि शिक्षकों की सहमति से किसी भी एकलव्य विद्यालय में पदस्थापना किया जा सकता है।

vi. अतिथि शिक्षक का नियुक्ति केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए वैध रहेगा। हालांकि, अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में या अतिथि शिक्षक के संतोषजनक प्रदर्शन के साथ, अतिथि शिक्षक के नियुक्ति की वैधता को अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए NESTS के पूर्व अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एकलव्य विद्यालयो में मौजूद रहेगा। अतिथि शिक्षक के साथ एक नए अनुबंध में प्रवेश करें बशर्ते कि रिक्ति अभी भी मौजूद हो।

vii. राज्य स्तरीय समितियां शैक्षणिक वर्ष के लिए अतिथि शिक्षकों के पैनल बनाने की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगी।

(ब) सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतुः–

I. चयनित उम्मीदवारों को एकलव्य विद्यालयों में अतिथि शिक्षक (सेवानिवृत्त शिक्षक) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जहां उन्हें रिक्ति / छुट्टी रिक्ति के मामले में तैनात किया जाएगा।

II. सेवानिवृत्त शिक्षकों को मासिक आधार पर 10 महीने से अधिक की अवधि के लिए या नियमित पदधारी के शामिल होने तक, जो भी पहले हो, के लिए रखा जाएगा।

III. सेवानिवृत्त शिक्षकों के काम के घंटे नियमित शिक्षकों के समान होंगे।

IV. एक वर्ष में 8 आकस्मिक अवकाश के प्रावधान की अनुमति होगी।

V. सेवानिवृत्त शिक्षकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां नियमित शिक्षक / पदधारी के समान या समान होंगी। नियमित कक्षा गतिविधि, प्रतिलिपि सुधार, निरीक्षण कर्तव्य, मूल्यांकन कर्तव्य, विभिन्न साहित्यिक, सह पाठ्यचर्या, खेल गतिविधियों, अनुरक्षण कर्तव्य, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकन, प्राचार्य द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों आदि के लिए छात्रों को तैयार करना।

VI. सेवानिवृत्त शिक्षक को एक अधिकृत चिकित्सा व्यवसायी से चिकित्सा–सह–फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

VII. सेवानिवृत्त अतिथि शिक्षकों को उनकी उपलब्धता के आधार पर मुफ्त आवास (व्यक्तिगत / साझा करने के आधार पर) प्रदान किया जा सकता है, जिसे उन्हें अनुबंध की समाप्ति के 7 दिनों के भीतर खाली करना होगा।

VIII. एक सेवानिवृत्त शिक्षक को आने वाले वर्षों के सेवानिवृत्त शिक्षक के पैनल के लिए विचार किया जा सकता है, बशर्ते उसका प्रदर्शन संतोषजनक हो। तथापि, यदि अन्यथा पात्र हों तो उन्हें प्रत्येक वर्ष किसी अधिकृत चिकित्सक से चिकित्सा–सह–फिटनेस प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

11. आवेदन करने हेतु सामान्य निर्देश :–

1. पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। राज्य/जिला स्तरीय समिति को अधिकार होगा कि वह विज्ञापन को किसी भी समय निरस्त कर सकता है या रिक्त पदों में से पूरे या आंशिक रूप से भर्ती कर सकता है। समिति को यह भी अधिकार होगा कि वह विज्ञापन की प्रक्रिया व शर्तों को आवश्यकता होने पर बिना किसी सूचना के संशोधन या परिवर्तन कर सकता है।

2. आवेदन पत्र में अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी मूल अभिलेखों में त्रुटि पाये जाने पर आवेदन बिना सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।

3. विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन/सूचना राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति http://www.eklavya.cg.nic.in/ एवं संबंधित जिले के वेबसाईट .... (जिला द्वारा भरा जावे) पर अपलोड कर सूचित किया जावेगा। किसी भी प्रकार की सूचना डाक के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध नहीं करायी जावेगी।

4. किसी प्रकार की सिफारिश पाये जाने पर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जावेगी।

5. इस भर्ती के संबंध में किसी भी प्रकार का न्यायालीन क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ राज्य होगा।

12. अभ्यर्थियो द्वारा आवेदन करने की प्रकिया :–

1. विज्ञापन के पदों पर आवेदन केवल ऑफलाईन स्वीकार किया जावेगा, जो http://www.eklavya.cg.nic.in/ पर तथा जिला के वेब साईट http://www.balod.gov.in (जिला द्वारा भरा जाये) पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी जिलावार रिक्त पदों के लिए पृथक–पृथक ऑफलाईन आवेदन कर सकता है ।
2. भेजे जाने वाले समस्त दस्तावेज की प्रतिलिपि मूल अभिलेख से मिलान कर स्व–प्रमाणित होना चाहिए।
3. निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त स्व–प्रमाणित अभिलेखों के साथ एक बंद बड़े लिफाफा में सील बंद कर संबंधित जिले के जिला स्तरीय समिति के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट से ही भेजा जाये। **भेजे जाने वाले लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए अतिथि शिक्षक/अधीक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2023–24 लिखा जाना अनिवार्य होगा।**

13 आवेदन संबंधी महत्वपूर्ण तिथियॉ :–

क.	विवरण	अभ्यर्थियों हेतु अंतिम तिथि
1	आवेदन करने की अंतिम तिथि	25.04.2023

कलेक्टर/अध्यक्ष
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
जिला-.बालोद ..छत्तीसगढ़

परिशिष्ट – एक

//फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए मूल दस्तावेजों की सूची//

1. हाई स्कूल सर्टिफिकेट की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
3. स्नातक की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
5. बी.एड.उत्तीर्ण की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
6. **CTET/TET** उत्तीर्ण की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
7. कार्य अनुभव का प्रमाण–पत्र (शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं का प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–छः के अनुसार)

परिशिष्ट – दो

//सेवानिवृत्त शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए मूल दस्तावेजों की सूची//

1. हाई स्कूल सर्टिफिकेट की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
3. स्नातक की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
5. बी.एड.उत्तीर्ण की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
6. **CTET/TET** उत्तीर्ण की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
8. कार्य अनुभव का प्रमाण–पत्र (शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं का प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–छः के अनुसार)
9. सेवा निवृत्त शिक्षक हेतु – उसके सेवा निवृत्ति के पहले कार्यरत रहे संस्था प्रमुख से उसके सेवा निवृत्ति की तिथि तथा उसके कार्यव्यवहार के संबंध में प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।(परिशिष्ट – पाँच)

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अंशकालिन अतिथि शिक्षक के फ्रेश अभ्यर्थी हेतु आवेदन पत्र–वर्ष 2023–24

1. आवेदित जिले का नाम : ....
2. संवर्ग का नाम शैक्षणिक संवर्ग.☐...
3. आवेदित पदनाम : ....
4. नाम : ....
5. लिंग (महिला / पुरूष / ट्रांसजेंडर) : ....
6. पिता / पति का नाम : ....
7. जाति / वर्ग : ....
   (अ.ज.जा. / अ.जा. / अ.पि.व. / निशक्त / आर्थिक पिछड़ा / सामान्य)
8. जन्मतिथि : ....
9. आयु (दिनांक 01.04.2023 को आयु) : ....
10. पत्राचार का पूर्ण पता : ....
    ....
    ....
11. मोबाईल नं. : ....
12. ई–मेल आईडी : ....
13. आधार नंबर है :– ....

14. शैक्षणिक योग्यता

क्र0	परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत में / ग्रेड	अध्ययन का माध्यम हिन्दी / अंग्रेजी
1.	High School							
2.	Higher Secondry School							
3.	Graduation							
4.	Post Graduation							
5.	B.Ed.							
6.	CTET/TET							
7	other							

15. **अनुभव :**
    (अ) क्या आप एकलव्य आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक कार्य का अनुभव है हां / नहीं

क्र0	संस्था का नाम	पदनाम	अवधि		कुल अवधि	
			कब से	कब तक	वर्ष	माह

16. **पदस्थापना हेतु प्राथमिकता का क्रमः–**

EMRS के विकल्प :–

1. --------------------------------
2. --------------------------------
3. --------------------------------
4. --------------------------------
5. --------------------------------

घोषणा पत्र

मैं.................................... घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास में पूर्णतः सही है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर मेरे विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी एवं मेरा आवेदन स्वमेव निरस्त माना जावेगा। जिसके लिए मै स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक ....

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान ....

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षक हेतु आवेदन पत्र–वर्ष 2023–24

1. आवेदित जिले का नाम : ....
2. संवर्ग का नाम शैक्षणिक संवर्ग ....
3. आवेदित पदनाम : ....
4. नाम : ....
5. लिंग (महिला / पुरूष / ट्रांसजेंडर)
6. पिता / पति का नाम : ....
7. जाति / वर्ग : ....
   (अ.ज.जा. / अ.जा. / अ.पि.व. / निशक्त / आर्थिक पिछड़ा / सामान्य)
8. जन्मतिथि : ....
9. आयु (दिनांक 01.04.2023 को आयु) : ....
10. पत्राचार का पूर्ण पता : ....
    ....
    ....
11. मोबाईल नं. : ....
12. ई–मेल आईडी : ....
13. वर्तमान में किस शाला / संस्था मे पदस्थ है :–..
14. मूल विभाग का नाम :– ....
    ....
15. शैक्षणिक योग्यता

क0	परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत में / ग्रेड	अध्ययन का माध्यम हिन्दी / अंग्रेजी
1.	High School							
2.	Higher Secondry School							
3.	Graduation							
4.	Post Graduation							
5.	B.Ed.							
6.	CTET/TET							
7	other							

16. नियमित पद पर (परीवीक्षा अवधि को छोड़कर) शासकीय सेवा की जानकारी :

क0	पदनाम	नियुक्ति / पदोन्नति का दिनांक	कब से कब तक	अब तक कुल सेवा अवधि	वेतनमान

17. सेवा अवधि में दण्ड/विभागीय जांच आदि की जानकारीः–

क्र0	विभागीय जांच संस्थापित होने का दिनांक	प्रकरण की वर्तमान स्थिति	शास्ति अधिरोपित का दिनांक

18. गोपनीय चरित्रावली का विवरण :– ....
(पिछले 05 वर्ष का, वर्ष 2017से 2021तक)

वर्ष 2021[..........].2020 [..........]... 2019.[..........]..2018.[...........]...2017.[.........].

19. पदस्थापना हेतु प्राथमिकता का क्रम

EMRS के विकल्प :–

1. --------------------------------
2. --------------------------------
3. --------------------------------
4. --------------------------------
5. --------------------------------

घोषणा पत्र

मैं.................................. घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास में पूर्णतः सही है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर मेरे विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी एवं मेरा आवेदन स्वमेव निरस्त माना जावेगा। जिसके लिए मै स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक ....

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान ....

परिशिष्ट – पाँच

सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए
सेवा निवृत्ति के पूर्व अंतिम नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. .... पद .... संस्था का नाम .... विभाग .... सेवा निवृत्त के समय अंतिम वेतनमान रू.....................................से सेवा निवृत्त हुआ/हुई है। इनके विरूध्द किसी भी प्रकार की विभागीय जांच, आपराधिक, न्यायालयीन प्रकरण, दण्ड आदि नहीं है। इनके पांच वर्ष का गोपनीय प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

वर्ष 2021 .... 2020 .... 2019 .... 2018 .... 2017 ....

दिनांक ....

नियंत्रणकर्ता अधिकारी के

स्थान ....

पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर

परिशिष्ट – "छः"

कार्यालय का नाम
फोन/फैक्स नंबर

क्र......................... **दिनांक ....**

अनुभव प्रमाण पत्र (शासकीय एवं शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाओं के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. ....

आत्मज श्री ....जिला .... राज्य ......

...... ने ....विद्यालय में .... पद पर ....

.... विषय का दिनांक .... से .... कुल ....वर्ष ...

........माह अध्यापन कार्य किया है।

इस दौरान इनका कार्य व्यवहार संतोषजनक रहा।

प्राचार्य का हस्ताक्षर (दिनांक सहित)
नाम ....
पद ....
सील ....